राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1095/2011..................जिला........जयपुर..

उनवान– मैसर्स डी.जे. डायनेमिक्स प्रा.लि., जयपुर बनाम सीटीओ, प्रतिकरापवंचन, भीलवाडा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.04.2015	**खण्डपीठ** **श्री राकेश श्रीवास्तव – अध्यक्ष** **श्री मनोहर पुरी – सदस्य** अपीलार्थी अभिभाषक श्री ओ.पी. दौसाया उपस्थित विभाग की ओर से उपराजकीय अभिभाषक श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित। अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना–पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमे अपीलार्थी अभिभाषक ने निवेदन किया है कि विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा घोषित एमेनेस्टी योजना, 2015 का व्यवसायी लाभ लेना चाहते है, एवं विवादित राशि जमा करवा दी है इस हेतु अपीलार्थी अभिभाषक प्रकरण वापस (Withdraw) लेना चाहते है। इस पर विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को विदड्रा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी। फलस्वरूप अपीलार्थी अभिभाषक के पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत अपील संख्या 1095/2011/जयपुर को विदड्रा करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील जरिये विदड्रा खारीज की जाती है। आदेश सुनाया गया। **(मनोहर पुरी)** **सदस्य** **(राकेश श्रीवास्तव)** **अध्यक्ष**	